न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 30/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2016/00110

उनवान

1. श्रीमती विस्मिल्लाह पुत्री श्यामा उर्फ शमसुद्दीन उम्र 37 वर्ष पत्नी बल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी करीम कालौनी अलीगढ रोड गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलुपर।
2. श्रीमती मीना उम्र 30 वर्ष पुत्री श्यामा उर्फ शमसुद्दीन पत्नी इशाक खॉ जाति मुसलमान निवासी मत्सूरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुरारी पुत्र छिद्दू जाति मुसलमान निवासी करीम कालौनी अलीगढ रोड गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. भत्तो } पुत्रगण छिद्दू जाति मुसलमान निवासी गॉव भारली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
3. गुज्जी }
4. सन्तो पुत्री छिद्दू पत्नी साबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
5. मुन्नी पुत्री छिद्दू पत्नी जगदीश जाति मुसलमान तेली निवासी सागोर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
6. अंगूरी पुत्री छिद्दू पत्नी बाबू जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम भीमगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर।
7. किरोरी } पुत्रगण इलइय्या जाति मुसलमान निवासी करीम कालौनी अलीगढ रोड बाडी
8. नब्बा } तहसील बाडी जिला धौलपुर।
9. गोपाली } पुत्रगण बुलाखी जाति मुसलमान निवासी करीम कालौनी अलीगढ रोड गुमट
10. हसनू } बाडी तहसील बाडी, जिला धौलपुर।
11. मुन्नी पुत्री बुलाखी पत्नी सन्नू जाति मुसलमान निवासी अजीजपुरा गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
12. बरफी पुत्री बुलाखी पत्नी रज्जब जाति मुसलमान नवासी अजीजपुरा गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
13. जाकिर पुत्र बुलाखी } जाति मुसलमान निवासी करीम कालौनी अलीगढ रोड बाडी तह0
14. कल्ला पुत्र बुलाखी } बाडी जिला धौलपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 30.11.15 प्र.सं. 49/10 उनवानी विस्मिल्लाह बनाम कठहरनी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–19.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के 1/4 भाग के अपीलाण्ट/वादीगण के बाबा स्व0 छिद्दू पुत्र करघा खातेदार थे तथा शेष 3/4 भाग के खातेदार रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 12 के पिता बुलाखी पुत्र दीना थे। उक्त 3/4 भाग पर कोई विवाद नहीं है। सिर्फ छिद्दू के 1/4 भाग का विवाद है। विवादित आराजी छिद्दू की निजी थी, जो उसने तत्कालीन खातेदारो से क्रय की थी। छिद्दू की दो शादियॉ हुई थी, जिनमें से पहली पत्नी गौरी की मृत्यु हो चुकी है। जिसका एक पुत्र श्यामा उर्फ शमसुद्दीन था। दूसरी पत्नी कठहरनी है, जिसके तीन पुत्र व तीन पुत्रियॉ पैदा हुए। छिद्दू अपनी पहली पत्नी गौरी के पुत्र श्यामा उर्फ शमसुद्दीन व उसी पुत्रीयों के साथ रहता था। इसलिए छिद्दू ने अपनी पुत्रीयॉ को अपीलाण्ट/वादीगण के पास बुला लिया था। छिद्दू ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी तथा करीम कालोनी बाडी में स्थित एक प्लाट की वसीयत दिनांक 03.01.2009 को अपीलाण्ट/वादीगण के पक्ष में कर दी। तत्पश्चात् छिद्दू फौत हो गये और विवादित आराजी में उसका 1/4 भाग अपीलाण्ट/वादीगण पर प्रकांत हो गया। परन्तु पटवारी हल्का ने मुताबिक वसीयत दाखिल खारिज नहीं खोला बल्कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने दाखिल खारिज खुलवा लिया। जबकि पक्षकार मुस्लिम जाति के हैं तथा मुस्लिम विधि से गवर्न होते हैं। इसी दौरान दिनांक 16.06.2010 को छिद्दू की दूसरी पत्नी कठहरनी एवं रैस्पो0/प्रतिवादी गुज्जी ने राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/16 हिस्से की रिलीजडीड रैस्पो0/प्रतिवादी श्यामा उर्फ शमसुद्दीन के हक में कर दी। जबकि उनका हिस्सा वादग्रस्त आराजी में 1/16 नहीं था। अतः अपने हिस्से से अधिक की गई रिलीजडीड अवैध है। अन्त में अपीलाण्ट/वादीगण ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थि हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानो के विपरीत एवं मनमाने ढंग से पारित किया गया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पक्ष में हुई वसीयत को संदिग्ध मानकर कानूनी भूल की है, जबकि अपीलाण्ट व गवाहन द्वारा उनके पक्ष में हुई वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक पूरी तरह साबित किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत बाबत् अपनी टिप्पणी कानून के विपरीत दी है। क्योंकि कानूनन वसीयत का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य नहीं है। यहॉ तक यदि वसीयत मौखिक भी की जाती है तब भी वह वैलिड होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि छिद्दू की मृत्यु के बाद नामान्तकरण, जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा खोला गया है वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोला गया है। जबकि कानूनन विरासत पक्षकारान के पर्सनल लॉ द्वारा गवर्न होती है। पक्षकारान मुस्लिम जाति के होने के कारण उनका पर्सनल लॉ मुस्लिम विधि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीरें विघटन, स्थानांतरण, विनिमय और विभाजन नियम 39–40 पेज 109, आरआरडी 1984 पेज 391, मार्च 2003 पेज 111, आरएलआर 1995(1) पेज 747 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा अपने हक में छिद्दू द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि बाबत् घोषणा चाही गई है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण उक्त वसीयत का फर्जी व कूट रचित होना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की गई हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 व 03 अपीलाण्ट/वादिया द्वारा कथित वसीयत एवं दावे को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियॉ एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक साथ तय की हैं। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

5. **तनकी संख्या 01 व 03** की विवेचना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के क्रम में अनेकों विरोधाभास रेखांकित किये हैं। चूंकि वसीयत ही दावे का आधार है। अतः वाद की सफलता के लिए, वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणक (Probate) होना परमावश्यक है। चूंकि वसीयत सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणित नहीं है एवं ना ही गवाहों के वयानात से वसीयत पुष्ट हो पाई है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

6. **तनकी संख्या 02 व 04**, तनकी संख्या 01 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी 01 व 03 अपीलाण्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः तनकी 02 व 04 भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर अपीलाण्ट/वादीगण के खिलाफ निर्णित की है।

7. **अनुतोष** – अपीलाण्ट/वादीगण अपने जिम्में की सभी तनकियात को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश सकारण व विवेचनात्मक है, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official